न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **09/2019** अपील (राजस्व)

श्रीमती नारूडी पुत्री कन्ना जी पत्नी ओमा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. सुरता उर्फ हुरता जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री बाबरू पिता अमरा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री सवा पिता अमरा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री आशु पिता अमरा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री राजु पिता अमरा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री भैरा पिता अमरा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री हकरिया पिता भमरू जी भील निवासी साकरोदा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री राजु पिता भमरू जी भील निवासी साकरोदा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री रूपलाल पिता भमरू जी भील निवासी साकरोदा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री ख्यालीलाल पिता कन्ना जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री लालुराम पिता कन्ना जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती राधी पत्नी मोतीलाल जी भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

—— रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील विरूद्ध तहसीलदार मावली द्वारा आदेशित नामान्तकरण</u>
<u>ग्राम घणोली नामा.सं. 612 दिनांक 25.09.1998</u>

उपस्थित : श्री आर.एस.र[illegible] अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री इकबाल [illegible] अधिवक्ता रेस्पो.सं. 10,12
श्री सम्पतलाल [illegible] अधिवक्ता रेस्पो.सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 09/19 अपील(राजस्व)
नारूडी बनाम मोहनी व अन्य

निर्णय

दिनांकः— ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील तहसीलदार मावली द्वारा पारित नामान्तकरण ग्राम घणोली के नामान्तकरण सं. 612 दिनांक 25.09.98 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घणोली की आराजी नं. 595, 596, 599, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 927 एवं आराजी नं. 605, 608, 928, 1966/148 एवं आराजी नं. 147 खातेदार सुरता उर्फ हुरता पिता देवा जी भील के नाम दर्ज थी जिनका देहान्त दिनांक 15.11.85 को हो चुका। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी दो पुत्रीयां मोहनी व लोगरी थी। लोगरी का विवाह कन्ना भील निवासी साकरोदा के साथ हुआ। सुरता उर्फ हुरता भील की मृत्यु के उपरान्त उसकी समस्त जायदाद व सम्पत्ति पर उसकी दोनो पुत्रियों का हक व अधिकार था। दोनो अनपढ होकर कानून की प्रक्रिया की अनभिज्ञता के कारण नामान्तकरण की प्रक्रिया नहीं करवायी। सुरता उर्फ हुरता भील की मृत्यु के करीब 10 वर्ष बाद सुरता उर्फ हुरता भील की पुत्री लोगरी की भी मृत्यु हो गई। जिसके वारिस मै अपीलार्थीयां व विपक्षी सं. 7 से 12 तक है। इस दरमियान कुछ भूमि दलालों व मेरी माता के भाई बहन जो कि विपक्षी सं. 2 से 6 है, ने मिलकर तहसीलदार मावली, पटवारी व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने मिलकर एक गलत एवं फर्जी परिवार खानदान सजरा बनाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को मात्र विधिक वारिस घोषित कर समस्त जायदाद मोहनी के नाम पर दर्ज करा, दर्ज जमीनों को रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 ने अपने हिसाब से खुर्द—बुर्द कर दिया। जबकि उक्त भूमि पर लोगरी की तरह मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 से 12 का भी समान हक व अधिकार है। जिस कारण उक्त फर्जी नामान्तकरण जो हमे हमारे हिस्से से महरूम रखने की नियत से पारित किया गया जो खारीज होने योग्य है। अपीलीय नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से परे होने के कारण उक्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम घणोली का नामान्तकरण सं. 612 दिनांक 25.09.98 निरस्त फरमाया जाकर सुरता उर्फ हुरता के विधिक वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया का नाम भी दर्ज कराना फरमावे।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी माता की मृत्यु वर्ष 1985 में हो गई। उसके करीब 13 व 15 वर्ष बाद उक्त नामान्तकरण खोला गया। जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थीया को नहीं दी गई। प्रार्थीया गरीब एवं अनपढ होने के कारण कानूनी जानकारी के अभाव में नामान्तकरण की कार्यवाही से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

अनभिज्ञ थी। नामान्तकरण की जानकारी मुझे दिनांक 23.01.19 को नकल प्राप्त करने पर हुई। प्रकरण अचल सम्पत्ति से संबंधित है। अतः न्यायहित में मुझ अपीलार्थीयां को न्याय दिलाने हेतु क्षमा करने योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 12 द्वारा उपस्थित होकर अपीलान्ट की अपील को इकबालिया स्वीकार की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। अपीलार्थीयां द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 9, 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपने अपील एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम घणोली के खाता सं. 331 नया 291 पुराना आराजी नं. 595, 596, 599, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 927 एवं आराजी नं. 605, 608, 928, 1966/148 एवं आराजी नं. 147 खातेदार सुरता उर्फ हुरता पिता देवा जी भील के नाम दर्ज थी। जिनका देहान्त दिनांक 15.11.85 को हो चुका। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी दो पुत्रीयां मोहनी व लोगरी थी। अपीलीय नामान्तकरण से सुरता उर्फ हुरता का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विरासत से मोहनी पिता हुरता भील के नाम दर्ज कर दिया गया। दूसरी पुत्री लोगरी का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि उनकी दो जीवित वारिसान मोहनी व लोगरी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी समस्त सम्पत्ति पर दोनो पुत्रियां मोहनी व लोगरी का ही हक अधिकार बराबर था। सुरता उर्फ हुरता भील की पुत्री लोगरी की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारीस में प्रार्थीया व विपक्षी सं. 7 से 12 तक है। विपक्षी सं. 1 मोहनी के नाम पर दर्ज जमीन को भूमि दलालो व विपक्षी सं. 2 से 6 ने अपने हिसाब से खुर्द–बुर्द कर दिया। उक्त सारी भूमि को फर्जी तरीके से विपक्षी सं. 1 मोहनी के नाम पर दर्ज करवायी व बाद में दिनांक 05.03.09 को जरिये हकत्याग से सम्पूर्ण जमीन अपने नाम पर दर्ज करवा ली। जबकि उक्त जमीन में स्व.सुरता उर्फ हुरता भील के हक एवं हिस्से की स्थित आराजीयात पर विपक्षी सं. 1 माहेनी की तरह मुझ प्रार्थीया की माता स्व.लोगरी भी समान हक व हिस्सा रखती थी। नामान्तकरण खोलने के वक्त विधि के अनुरूप नियमों का पालन नहीं करते हुए यह नामान्तकरण खोला गया जिससे उक्त नामान्तकरण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम घणोली का नामान्तकरण सं. 612 दिनांक 25.09.98 को [illegible] स्व. सुरता उर्फ हुरता भील के विधिक वारिसानों के नाम नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। अपनी बहस की ताईद में आर.आर.डी. 2014 पेज 252,

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

आर.आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1994 पेज 606, आर.आर.डी. 1995 पेज 300, आर.आर.डी. 1991 पेज 252, डी.एन.जे.(राज)2002(3) पेज 1357, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 624, आर.आर.डी. 1998 पेज 321 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

प्रकरण में उपस्थित पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण मे अपील लगभग 20 वर्षो बाद की गई है। अपीलार्थी द्वारा श्री सूरता उर्फ हुरता के विधिक वारिसान होने बाबत कोई विधिक दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज रिकार्ड नही है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट जाति से भील होकर अनुसूचित जाति की महिला है तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते। प्रार्थिया का कथित जमीन से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है प्रार्थिया वारिस नही है अतः अपील पेश करने का अधिकार नही है। विवादित जमीन का रूपान्तरण काफी समय पूर्व हो चुका है, प्लॉट भी कट गए है, आबादी भूमि होने से कृषि भूमि के म्यूटेशन की अपील लायी नही होती है। जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा देवे तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये व स्वीकृत म्यूटेशन के विरूद्ध किसी को भी अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अपील 18 वर्षो बाद पेश की गई है अपील मियाद बाहर होने से कण्डोन किये जाने योग्य नही है। अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने के पूर्व कोई स्वीकृति प्राप्त नही की है एवं स्वीकृति के लिए धारा 96 जा.दी. का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। अपील मेन्टीनेबल नही होने से काबिल निरस्त के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से निम्न केस लॉ प्रस्तुत किये गयेः–

RRD 1985 P 584, RBJ 2010 P 289, RRD 1995 P 64, DNJ 2015(3) (rev) P 202, RRT 2005 (2) P 1250, RRT 2005 (2) P 1018, RRD 2000 P 483, RRD 1966 P 71 (Full Bench) RRD 2006 P464 (HC), RRT 2016(2) P1437 (DB), RRT 2012 (1)P 431, RRD 2014 P 252 RRD 1994 P 604, RRD 1994 P 605, RRD 1995 P 300, RRD 1991 P 252, DNJ Raj 2002 (3)P 1357, RRT 2014 (1) P 624 एवं RRD 1998 P 321

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि नामान्तरकरण सन 1998 का है जिसके विरूद्ध अपील 11.02.2019 को 20 वर्षो बाद की गई है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा श्री सूरता उर्फ हुरता के विधिक वारिसान होने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 25.09.1998 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 09/19 अपील(राजस्व)
नारूडी बनाम मोहनी व अन्य

रेस्पोडेन्ट मोहनी के नाम दर्ज भूमि रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1281 दिनांक 05.03.09 से श्री बाबरू, सवा, आशु, राजू, भेरा, खेमा पिता अमरा भील के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में भूमि हस्तांतरित हो चुकी है। उक्त आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलाण्ट राहत चाहता है तो सक्षम न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested